

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के जिला अंकेक्षण अधिकारी (लेवल-7) एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी (लेवल-6) के पद पर सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु विज्ञापन :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं आदेश संख्या-21430 दिनांक-21.11.2023 में निहित प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट-<https://state.bihar.gov.in/biharprd> पर देखा जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाइट-Bgsys.bihar.gov.in पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10.03.2026 के अपराह्न 23:59 बजे तक किया जा सकेगा।

2. संविदा आधारित जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी हेतु आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी निम्नवत् है:-

(क) जिला अंकेक्षण अधिकारी के रिक्त कुल-38 पदों की कोटिवार आरक्षण की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	पदनाम	पद संवर्ग	पदों की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि	कुल रिक्त पद	पुरुष को अनुमान्य पद	महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	जिला अंकेक्षण अधिकारी	बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा	38	07	अनारक्षित	13	08	05	
					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	03	01	
					अनुसूचित जाति	07	05	02	
					अनुसूचित जनजाति	01	01	00	
					अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	05	02	
					पिछड़ा वर्ग	05	04	01	
					पिछड़ा वर्ग की महिलाओं	01	00	00	

					कुल	38	26	11	
--	--	--	--	--	-----	----	----	----	--

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-962 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत निम्नवत पद अनुमान्य होगा :-

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिक घात रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण	स्वपरायणता बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता / संकल्प संख्या-962 दिनांक 22.01.2021 की कंडिका (8) के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन बहुदिव्यांगता	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
04 से 41	01	01	00	00	02
कुल	01	01	00	00	

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रस्तुत सम्बन्धवहार में 01 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत देय होगा।

(ख) वरीय अंकेक्षण अधिकारी के रिक्त कुल-165 पदों की कोटिवार आरक्षण की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	पदनाम	पद संवर्ग	पदों की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि	कुल रिक्त अनुमान्य पद	पुरुष को अनुमान्य पद	महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	वरीय अंकेक्षण अधिकारी	बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा	165	06	अनारक्षित	67	44	23	
					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17	11	06	
					अनुसूचित जाति	27	18	09	
					अनुसूचित जनजाति	02	02	00	
					अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	28	18	10	
					पिछड़ा वर्ग	19	12	07	

					पिछड़ा वर्ग की महिलाओं	05	00	00	
					कुल	165	105	55	

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-962 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत निम्नवत पद अनुमान्य होगा :-

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिक घात रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण	स्वपरायणता बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता/संकल्प संख्या-962 दिनांक 22.01.2021 की कंडिका (8) के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन बहुदिव्यांगता	कुल
1	2	3	4	5	6
16 से 180	02	02	02	01	07
कुल	02	02	02	01	

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रस्तुत सम्बन्धवहारी में 04 (चार) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत देय होगा।

3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:-

(i) आवेदक बिहार सरकार अंतर्गत जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ii) सेवानिवृत्त जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी का संविदा आधारित नियोजन के लिए प्रक्रिया एवं उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों से आच्छादित होगी (संदर्भित पत्र बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(iii) चयन प्रथमतः दो वर्ष, अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। अर्थात् दिनांक-30.12.2025 को आवेदक का उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4. संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तें:—

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -1012 दिनांक-27.01.2022 के आलोक में उक्त पद पर केवल बिहार सरकार से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी ही इस पद पर नियोजन के लिए योग्य होंगे।

(ii) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं आदेश संख्या-21430 दिनांक-21.11.2023 के संलग्न सूची में उल्लेखित पदों पर पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके चयन हेतु आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(3) के तहत गठित संबंधित चयन समिति (विभागीय स्तरीय चयन समिति) के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किया जायेंगे। संबंधित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवानिवृत्त की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

5. आवेदन की प्रक्रिया:—

(i) संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. आवेदन समर्पित करने उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

7. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रीमीलेयर रहित का प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रीमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

8. चयनित उम्मीदवारों का पदस्थापन बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।


9. आवेदक द्वारा website पर मांगी गयी सभी सूचनाओं की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही संलग्न प्रपत्र-क में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना शपथ-पत्र देना सुनिश्चित करेंगे:—

(i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है। (ii) कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है एवं (iv) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित न हो।

10. आवेदन ऑनलाईन आवेदन की (आवेदन समर्पित करने के पश्चात) मुद्रित प्रति, सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं आवेदन के समय अपलोड किये गए शपथ-पत्र की मूल प्रति काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. काउंसिलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. विभाग कुल रिक्ति से कम पद पर भी संविदा नियोजन कर सकती है।


(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

प्रपत्र-क

समक्ष,

लेख प्रमाणक,, सदर

शपथ-पत्र

मैं,....., पिता-....., उम्र-....., पता-..... का निवासी
हूँ तथा शपथ पूर्वक सच-सच हलफ बयान करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं.....विभाग से दिनांक-.....को(जिला अंकेक्षण अधिकारी/वरीय अंकेक्षण अधिकारी) के पद से सेवानिवृत्त हुआ/हुयी हूँ।
3. यह कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1012 दिनांक-27.01.2022 के आलोक में मेरे विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/अपराधिक मामला बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान के तहत सेवा काल के अंतिम 10(दस) वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05(पाँच) वर्षों में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित नहीं है।
4. यह कि मेरे ऊपर कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है, कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है और न ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है।
5. यह कि मैं पूर्ण पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूँ।

अतः यह शपथ-पत्र दे रहा/रही हूँ। पुनः एकरार करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र में दी गयी सारी बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर